रजिस्टर्ड नं० एल०डी०-9

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 21 मई, 1976

वैशाख 31, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2386/सत्रह-वि0-1--83-76

लखनऊ, 21 मई, 1976

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 19 मई, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2 के खण्ड (3) और (4), धारा 3 और धारा 4, 1 अप्रैल, 1976 से प्रवृत्त समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तत्काल प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में---

(1) उपधारा (1) में---

(क) अंक तथा शब्द "10,000 किलो मीटर" के स्थान पर अंक तथा शब्द "15,000 किलोमीटर" तथा शब्द, "निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन या पास भी दिये जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा उच्चतर श्रेणी, यदि कोई हो, से यात्रा करने का अधिकारी होगा" के स्थान पर शब्द "निःशुल्क असंक्रमणीय पास भी दिये जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा उच्चतर श्रेणी में, यदि कोई हो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय भाड़ा कर का भुगतान किये बिना यात्रा करने का अधिकारी होगा" रख दिये जायेंगे।

(ख) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :---

"परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य उक्त रेल यात्रा कूपनों का, नियत की जाने वाली रीति से, रेल यात्रा में अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में ले जाने के लिए प्रयोग कर सकता है, किन्तु इस प्रकार कुल दूरी, जिसमें उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे वह उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर हो, की गयी यात्रा की दूरी सम्मिलित है, 15,000 किलोमीटर प्रतिवर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर रहेगी।";

(2) उपधारा (1-क) में, परन्तुक और स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण रख दिये जायेंगे, अर्थात्:---

"परन्तु ऐसा सदस्य उक्त रेल यात्रा कूपनों का, नियत की जाने वाली रीति से, रेल यात्रा में अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में ले जाने के लिए प्रयोग कर सकता है, किन्तु इस प्रकार कुल दूरी, जिसमें उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे वह उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर हो, की गई यात्रा की दूरी सम्मिलित है, 15,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर रहेगी।

स्पष्टीकरण---उपधारा (1) और उपधारा (1-क) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश के बाहर रेल द्वारा यात्रा की दूरी की गणना में, उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी निकाल दी जायेगी।";

(3) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:---

"(2) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायं, उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रत्येक सदस्य, सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्य तथा कार्य के सम्बन्ध में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के लिए निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा :---

(i) उक्त प्रयोजनों के निमित्त, यात्रा के लिए, अर्थात् यथास्थिति विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए, किसी एक कलेंडर मास में दो बार से अनधिक केवल बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान वापस जाने के लिए, आनुषंगिक व्यय; और

(ii) पन्द्रह रुपये की दर से दैनिक भत्ता,

परन्तु नेता विरोधी दल को कोई भी दैनिक भत्ता देय न होगा।

स्पष्टीकरण---इस अधिनियम में, 'पदावलि' "नेता विरोधी दल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के ऐसे सदस्य से है जिसे अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो।";

(4) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्:---

"(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, जो नेता विरोधी दल से भिन्न हो, तीन सौ पचास रुपये प्रति मास का समेकित प्रतिकर भत्ता [जिसके अन्तर्गत सदस्य के

रूप में अपने कर्त्तव्यों या कृत्यों के सिलसिले में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में रेल, सड़क या वायुयान द्वारा किसी यात्रा के लिये उपधारा (2) में निर्दिष्ट आनुषंगिक व्यय को छोड़ कर कोई और आनुषंगिक व्यय, और दैनिक भत्ता और किसी भी प्रकार के अन्य सभी व्यय भी सम्मिलित हैं] राज्य विधान मंडल के सदन की या उसकी किसी समिति की, जिसका वह सदस्य हो, किसी बैठक में प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति के लिए दस रुपये की कटौती की शर्त के अधीन, पाने का हकदार होगा :

परन्तु ऐसी परिस्थितियों में और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायं, अनुपस्थिति के लिए कोई कटौती नहीं की जायेगी ।]

(4) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक सदस्य उस उपधारा में उल्लिखित बस पास का अपने साथ एक सहवर्ती ले जाने के लिये भी प्रयोग कर सकता है ।"

(5) अंक तथा शब्द "10,000 किलोमीटर" जहां-जहां आये हों, के स्थान पर अंक तथा शब्द "15,000 किलोमीटर" रख दिये जायें ।

धारा 2-ख का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 2-ख में—

(1) उपधारा (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु जब व्यवस्थित आवास 'ख' श्रेणी का हो या जब किसी आवास की व्यवस्था न की जाय तो सदस्य को प्रतिकर भत्ता दिया जायगा जो प्रथमोक्त दशा में 55 रुपये प्रतिमास की दर से और उपरोक्त की दशा में 150 रुपये प्रतिमास की दर से होगा ।";

(2) उपधारा (2) के अंत में शब्द "और उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रवर्तन में आने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे नियम विधान मंडल के सभी सदस्यों के सम्बन्ध में बनाये जा सकते है ।",

जोड़ दिये जायं ।

धारा 2-ग का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 2-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

" 2-ग—उत्तर प्रदेश विधान सभा का या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य तीन सौ पचास रुपये प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा ।"

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

पूर्ववर्ती दिनांक से नियम बनाने का अधिकार

5—कोई नियम जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (3) के परन्तुक को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ मूल अधिनियम की धारा 5 के अधीन बनाया जा सकता है, पूर्ववर्ती दिनांक से, किन्तु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व नहीं बनाया जा सकता है ।

No. 2386 (2)/XVII—V-1-86-76

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyon Ka) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh legislature and assented to by the Governor on May 19, 1976 :

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE CHAMBERS (MEMBERS' EMOLUMENTS) (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act No. 24, 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) Act, 1952.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) (Amendment) Act, 1976.

(2) Clauses (3) and (4) of section 2, sections 3 and 4 shall be deemed to have come into force on April 1, 1976, and the remaining provisions shall come into force atonce.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. XII of 1952.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act—

(1) in sub-section (1)—

(*a*) *for* figure and word "10,000 kilometers," the figure and word "15,000 kilometers" and *for* the words "free non-transferable coupons or pass entitling him to travel, within the State of Uttar Pradesh, at any time by Uttar Pradesh Government Roadways on the highest class, if any", the words "free non-transferable pass entitling him to travel within the State of Uttar Pradesh at any time by Uttar Pradesh State Road Transport Corporation bus on the highest class, if any, without payment of passenger tax due under any law for the time being in force" shall be *substituted;*

(*b*) *for* the second proviso, the following proviso shall be *substituted,* namely :—

"Provided further that such member may, in such manner as may be prescribed, use the said rail travel coupons for taking with him other members of his family also in journeys by rail within or outside Uttar Pradesh, so, however, that such distance in the aggregate, including the distance of journeys made by him outside Uttar Pradesh and by the members of his family whether within or outside Uttar Pradesh, shall be subject to the aforesaid maximum limit of 15,000 kilometres per year" ;

(2) in sub-section (1-A), *for* the proviso and explanation, the following proviso and explanation shall be *substituted,* namely :—

"Provided that such member may, in such manner as may be prescribed, use the said rail travel coupons for taking with him other members of his family also in journeys by rail within or outside Uttar Pradesh, so, however, that such distance in aggregate, including the distance of journeys made by him outside Uttar Pradesh and by the members of his family whether within or outside Uttar Pradesh, shall be subject to the aforesaid maximum limit of 15,000 kilometres per year.

Explanation—In computing the distance of journeys by rail outside Uttar Pradesh for the purposes of sub-sections (1) and (1-A), the distance between any two railway stations within the limits of Uttar Pradesh shall be excluded." ;

(3) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(2) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, each member referred to in sub-section (1) shall be entitled for his attendance required in connection with his duties or functions as member, to—

(i) incidental charges for journeys for the said purposes, namely, for attendance in each session of the Legislative Assembly or Legislative Council, as the case may be, or at any sittings of any committee thereof, only for coming to the place of sitting and for going back to his residence not more than twice in a calendar month ; and

(ii) daily allowance at the rate of rupees fifteen :

Provided that no daily allowance shall be payable to the Leader of the Opposition.

Explanation—In this Act, the expression 'the Leader of the Opposition' means the member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly who is for the time being recognised as such by the Speaker of the Legislative Assembly."

(4) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(3) Every member referred to in sub-sections (1), other than the Leader of the Opposition, shall be entitled to a consolidated compensatory allowance [inclusive of incidental charges, if any, other than incidental charges referred to in sub-section (2), for any journey by rail, road or air, and daily allowance and all other expenses whatsoever in respect of his attendance required in connection with his duties or functions as such member] of three hundred and fifty rupees per month subject to a deduction of ten rupees for each day of absence from a sitting of the House of the State Legislature or Committee thereof, of which he is a member :

Provided that no such deductions shall be made for absence in such circumstances and subject to conditions as may be prescribed.

(4) Every member referred to in sub-section (1) may also use the bus pass referred to in the said sub-section for taking a companion along with him."

(5) *for* numbers and words "10,000 kilometers," wherever occurring, numbers and words "15,000 kilometers" shall be substituted.

3. In section 2-B of the principal Act— Amendment of section 2-B.

(1) in sub-section (1), *for* the proviso the following proviso shall be *substituted*, namely :—

"Provided that when the accommodation provided is of "B" type or when no accommodation is provided, the member shall be paid compensatory allowance, which in the former case shall be at the rate of Rs.55 per mensem and in the later case at the rate of Rs.150 per mensem."

(2) in sub-section (2), at the end, the following words "and notwithstanding anything in any law inforce immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) (Amendment) Act, 1976, such rules may be made in respect of all members of the State Legislature", shall be *inserted*.

4. *For* section 2-C of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 2-C.

"2-C. Each member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or of the Uttar Pradesh Legislative Council shall be entitled to a constituency allowance of rupees three hundred and fifty per mensem." Constituency allowance.

5. Any rules that may be made under section 5 of the principal Act for purposes of carrying into effect the proviso to sub-section (3) of section 2 of the principal Act, as amended by this Act, may be made retrospectively with effect from a date not earlier than April 1, 1976. Retrospective power to make rules.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव, ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० 83 सा० (विधा०)—1976—900 (सेक०)